श्री सत्य नारायण सिंह : इस हाउस में जो भी फ़ैसला होता है, वह मैजारिटी और कानसेन्सस से होता है। पांच दस सदस्यों के कहने से कोई फ़ैसला नहीं होगा। हमारे लिए तो कोई फ़र्क नहीं होता है—हाउस चाहे दिसम्बर तक बढ़े, क्योंकि हमें तो किसी भी हालत में यहां रहना ही है। यह तय हो चुका है, यह बात बिल्कुल पक्की है कि सेशन को बढ़ाना नहीं है। अगर सैशन को बढ़ाना नहीं है, तो अगले वीक में सिर्फ़ साढ़े तीन दिन बाकी रहते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : चार दिन।

श्री सत्य नारायण सिंह : सोमवार को तातील है। तातील का भी यहां कोई ठिकाना है। कभी किसी बड़े नेता का जन्म है, कभी किसी का मरण है। इतनी तातील आती रहती है। आप ग़ौर कीजिए कि इन साढ़े तीन दिनों के लिए मैं ने जो काम रखा है, उसमें से कौन सा काम ऐसा नाजायज़ है या किस की इम्पार्टेन्स कम है, जिस को हम ड्राप कर दें। सम्भव है कि इन साढ़े तीन दिनों में हम इन सब कामों को भी पूरा न कर सकें, लेकिन कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। होगा क्या ? जो होगा, वह होगा और जो नहीं हो सकेगा, वह नहीं हो सकेगा। माननीय सदस्य इस बात को याद रखें, इस बारे में निश्चिन्त रहें कि वे चाहे कितना ही कहें, जो नहीं हो सकेगा, वह नहीं हो सकेगा। जो कुछ मैं ने बताया है, वही काम हो सकता है। उस कुछ से बेशी काम के लिए वक्त नहीं है।

जहां तक गो-वध के बारे में डिस्कशन का सम्बन्ध है, 7 तारीख की घटनाओं के बारे में डिस्कशन के लिए वक्त दिया गया है। वह सब गोवध की वजह से हुआ था।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : गोवध के बारे में प्रस्ताव भी साथ साथ ले लिया जाये।

Shri S. M. Banerjee: Has he any objection if both the motions are discussed together?

Mr. Speaker: He will see that. I am asking him to look into it.

श्री सत्य नारायण सिंह : उस को साथ साथ लिया जाये या न लिया जाये, माननीय सदस्य उस के बारे में जरूर बहस करेंगे। वे और करेंगे क्या ? मैं बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हम कोशिश करेंगे। जो हो सकेगा, वह हो सकेगा। जो नहीं हो सकेगा, तो जैसा कि मैं ने कई दफ़ा कहा है, **व्हाट कैननाट भी क्यूर्ड, मस्ट बि एनड्यर्ड।**

श्री हरि विष्णु कामत : मैं ने इस हाउस की कमेटी के द्वारा राज्य सभा की डिमांड्ज़ फ़ार ग्रान्ट्स के एग्ज़ामिनेशन के लिए कहा है। क्या मंत्री महोदय ने उस के बारे में कोई कदम उठाया है या नहीं ?

श्री सत्य नारायण सिंह माननीय सदस्य शायद पिछली दफ़ा यहां नहीं थे। स्पीकर साहब ने यह काम मुझे सौंपा है। मैं ने बात की है। यह बड़ा डैलीकैट मैटर है। आपोज़ीशन के लीडर्ज़ और कांग्रेस पार्टी में अलग अलग नेताओं के अपने अपने विचार हैं। मुझे राज्य सभा में अपने आपोजिट नम्बर से बात करने के लिए कहा गया है।

श्री हरि विष्णु कामत: यह संविधान का सवाल है।

श्री सत्यनारायण सिंह : मैंने बात की है। लोग तैयार नहीं हैं। इस बारे में जल्दी नहीं की जानी चाहिये। मुझे कोशिश करने दी जाये अगर कोई रास्ता निकलेगा, तो निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह अगली पार्लियामेंट में होगा ?

13.27 hrs.

POINT OF PERSONAL EXPLANATION

Shri Sham Lal Saraf (Jammu and Kashmir): Sir, I want to make a

[Shri Sham Lal Saraf]

personal explanation. I was not here when my hon. friend, Shri Hem Barua, referred to what happened yesterday in the House and expressed anger. I must also express my anguish over that incident. His name was there in the list, prepared either by you or the Deputy-Speaker, along with the names of members of three other parties who had not spoken. He actually came to me when I was in the Chair to enquire. (*Interruptions*).

He has expressed his anger. Now let me express my anguish. I then said that I am going to call Shri J. B. Kripalani next and that he will get the third turn after that. Then I called Dr. Lohia. He then said that I have been partial, which I refute, as I refuted it at that time also. If it has caused any anguish to my hon. friend, I am very sorry for it. But the way in which he has behaved is not a proper way. That is the correct position.

Shri Hem Barua (Gauhati): May I submit that Shri Saraf is a very good friend of ours and that is why I did not mention his name while lodging the complaint? What happened was this. I went to him, a thing which I never do, and enquired of him whether my name is in the list. He said "yes, your name is the fourth on the list; I will call you to speak after Shri Kripalani has spoken". I said "all right". I came down. Shri Kripalani was sitting here and he asked me whether I wanted to speak before him. I said "*no, dada*". Therefore, to say that I had requested him to give me an opportunity to speak before Shri Kripalani is not correct....

Mr. Speaker: There might be a misunderstanding. Both might be honestly believing like that. One is liable to misunderstand sometimes.

12.30 hrs.

CONSTITUTION (TWENTY-THIRD AMENDMENT) BILL*

Mr. Speaker: We will now take up the introduction of Bills. Shri Y. B. Chavan.

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, नियम 109 के अनुसार मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। गृह मंत्री जी एक विधेयक पेश करने जा रहे हैं। इस नियम के अनुसार मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उसको स्थगित किया जाये, क्योंकि गृह मंत्री जी ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, जिन की उम्र सत्तर, अस्सी बरस की है, जैसे संत प्रभु दत्त ब्रह्मचारी।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मिनिस्टर साहब को पेश करने दीजिए। उस के बाद उस के स्थगन का सवाल आयेगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं चाहता हूं कि उस के पेश किये जाने से पहले ही उस को स्थगित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : पेश करने से पहले ही स्थगित कर दिया जाये, यह किस के अख्त्यार में है।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप इस नियम के शब्द पढ़िये।

अध्यक्ष महोदय : "एट ऐनी स्टेज आफ़ ए बिल विचइज अंडर डिस्कशन इन दी हाउस, ...". अभी कोई स्टेज नहीं आई है।

डा० राम मनोहर लोहिया : स्टेज तो हो गई है न। "किसी भी स्टेज पर।" जब मंत्री महोदय विधेयक को रखना शुरू कर दें, वह भी तो स्टेज हो गई न।

अध्यक्ष महोदय : जो बिल अंडर डिस्कशन है, उस पर हो रही डीबेट के दरमियान

---

*Published in Gazette of India Extra-ordinary, Part II, section 2, dated 25-11-66.